

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशंसा के पश्चात ग्राम शोलापुरा के खाता सं. 86,121 खसरा नं. 40/1026, 735/1029, 828/2, 829 में आवेदन पत्र अनुसार चैतन प्रकाश पुत्र सुभा के स्थान पर चैतन गुरुदत्त पुत्र सुभा के शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम्प FRC ग्राम पंचायत शोलापुरा में दिनांक 30-5-25 को मजमेआम में सुनाया गया।

30/5/25